

4.2.19

पत्रावली पंथ के, वकील (वादी उप०) वादी  
का वाद-पत्र आंगिक स्वीकार किया जाता है।  
विस्तृत सिंगर प्रथक से रिकॉर्ड करवाया  
जाकर दायर किया गया। पत्रावली  
के मातृ मुकाम होकर नगर से कर हो व  
दायर करवा हो।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड (सदर)